"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-05-2001."

पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)
प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 256] रायपुर, बुधवार, दिनांक 11 जुलाई 2018 — आषाढ़ 20, शक 1940

राजभवन
रायपुर

रायपुर, दिनांक 11 जुलाई 2018

अधिसूचना

क्रमांक एफ 1-1/2018/रास/यू.-10. — छत्तीसगढ़ आयुष एवं स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय अधिनियम 2008 (क्रमांक 21 सन् 2008) की धारा 11 (2) में निहित प्रावधान अनुसार पंडित दीनदयाल उपाध्याय स्मृति स्वास्थ्य विज्ञान एवं आयुष विश्वविद्यालय छत्तीसगढ़, उपरवारा, सेक्टर-40, नया रायपुर में कुलपति के पद के लिए न्यूनतम तीन व्यक्तियों की एक पैनल अनुशंसित करने के लिए कुलाधिपति द्वारा निम्नलिखित व्यक्तियों की समिति गठित की जाती है :-

1. Shri Vivek Dhand, IAS
   Former Chief Secretary,
   Govt. of Chhattisgarh &
   Chairman, Chhattisgarh Real Estate
   Regulatory Authority (RERA), Raipur
   \- कुलाधिपति द्वारा नामित एक व्यक्ति

2. Dr. Sunil Kumar Verma
   Former Vice Chancellor,
   Surguja University, Ambikapur
   Palm Villa, G/B Padmavati Apartment
   Bilaspur - 495001 (Chhattisgarh)
   \- राज्य शासन द्वारा नामित एक व्यक्ति

3. Prof. Dr.Deelip Govindrao Mhaisekar
   Vice Chancellor
   Maharashtra University of Health Sciences
   Dindori Road, Mhasrul
   Nashik - 422 004 (Maharashtra)
   \- प्रबंध बोर्ड द्वारा नामित एक व्यक्ति

2. श्री विवेक ढांड को उक्त समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया जाता है.

3. उपर्युक्त समिति छत्तीसगढ़ आयुष एवं स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय अधिनियम 2008 की धारा 11 (5) के प्रावधान अनुसार यह अधिसूचना प्रसारित होने की तिथि से छ: सप्ताह की अवधि में माननीय कुलाधिपति को पैनल प्रस्तुत करेगी.

हस्ता./-
(रोक्तिमा यादव)
राज्यपाल के उप-सचिव.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय मुद्रणालय, रायपुर से मुद्रित तथा प्रकाशित - 2018